सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 1195 / 1014 / 2014 दिनांकः– 29.03.2017

के मामले में:

श्री दिलीप कुमार शुक्ल,
फ्लैट नं. डी 7/8, द्वितीय तल, R192
रेडियो कालोनी, निकट – जी.टी.बी. नगर मैट्रो
नई दिल्ली–110009 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,
(द्वारा) निदेशक,
ए.आई.एस –1 डिवीजन, R193
नोर्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 22.11.2016

उपस्थितः

1. श्री दिलीप कुमार शुक्ल, शिकायतकर्ता ।
2. प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) से संबंधित दिनांक 25.03.2014 की शिकायत इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका सिविल सेवा परीक्षा – 2011 में 780 रैंक एवं दृष्टिबाधित श्रेणी में चौथा स्थान (4th Rank) था इसलिए दृष्टिबाधित श्रेणी के आधार पर उन्हें भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) मिलना चाहिए था परन्तु उन्हें भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप–क) दिया गया जोकि उन्होंने वरीयता क्रम में 12वें स्थान पर भरा था । प्रार्थी का आगे कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने पर उन्हे पता चला कि निःशक्त जन अधिनियम, 1995 तथा दिसम्बर, 2005 एवं अप्रैल, 2006 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी ओ.एम. के प्रावधानों के तहत वसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से, वित–मंत्रालय को भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) तथा भारतीय राजस्व सेवा (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क), दृष्टिबाधित / अल्प दृष्टिबाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न देने के लिए किसी प्रकार का छूट नहीं मिला है और न ही वित्त–मंत्राालय के द्वारा इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी की गई है ।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 06.06.2014 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 22.07.2014, 15.04.2015 एवं 18.06.2015 को स्मरण–पत्र भी जारी किए गए ।

4. प्रतिवादी को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 06.06.2014 तथा स्मरण पत्र दिनांक 22.07.2014, 15.04.2015 एवं 18.06.2015 जारी करने के बावजूद भी उत्तर प्राप्त न होने पर मामला दिनांक 22.11.2016 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया ।

5. दिनांक 22.11.2016 को सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथन दिनांक 22.11.2016 सुनवाई के दौरान मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के समक्ष पेश किए, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया । उन्होंने अपने लिखित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सिविल सेवा परीक्षा–2011 की अधिसूचना जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय में जहां एक ओर संघ लोक सेवा आयोग को गलत सूचना देकर भातरीय राजस्व सेवा (आयकर) तथा भारतीय राजस्व सेवा (केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क को दृष्टिबाधित/अल्पदृष्टि बाधित श्रेणी के अभ्यथियों के लिए अध्सिूचित नहीं बताया, वहीं दूसरी तरफ गलत नोटीफिकेशन के माध्यम से सिविल सेवा (मुख्य परीक्षा – 2011 का फार्म उन्हें धोखे में रखकर भरवाया गया था । सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा–2011 में उनका सेवा वरीयता क्रम भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाद द्वितीय स्थान पर भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) तथा तृतीय स्थान प्रेतज567र भारतीय राजस्व सेवा (केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क) होता । उनके द्वारा दृष्टिबाधित श्रेणी में प्राप्त चौथे स्थान के आधार पर भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) आवंटित करने की गुहार लगाई गई लेकिन अभी तक उन्हें वित मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से किसी प्रकार का सकारात्मक प्रति–उत्तर नहीं मिला । आगे उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उन्होंने न्याय पाने के लिए ओ.ए. संख्या 2958/2013 (दिलीप कुमार शुक्ल बनाम भारत संघ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान बैंच, नई दिल्ली में फाइल कर रखा है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 06.04.2017 को होनी है । अंत में उन्होंने इस न्यायालय से न्याय की प्रार्थना की ।

6. प्रतिवादी की ओर से सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के पत्र दिनांक 22.09.2016 द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजी गई थी ।

7. शिकायतकर्ता को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि चूंकि शिकायतकर्ता ने इस मामले में न्याय पाने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 2958/2013 पहले ही फाइल कर रखा है जिसकी अगली सुनवाई 06.04.2017 को होनी है, इसलिए यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं है और मामला खारिज किया जाता है ।

(कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन